# दिनांक 09 अप्रैल, 2026 को माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के साथ आहूत बैठक बैठक की कार्यवाही

माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पटना विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए:–

## 1. शैक्षणिक प्रदर्शन

यह पाया किया गया कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक है। लगभग 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से लगभग 70% छात्राएं हैं, जो सकारात्मक लैंगिक भागीदारी को दर्शाता है।

## 2. अभिषद (Syndicate) के मामले

यह देखा गया कि कुछ मामले जो अभिषद (Syndicate) के समक्ष रखे गए थे और उनकी सहमति प्राप्त हुई थी, लेकिन तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति द्वारा उन्हें विधिवत अनुमोदित नहीं किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाएगा।

## 3. छात्राओं और एससी/एसटी छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति

यह सूचित किया गया कि राज्य सरकार से 2023-2024 तक के एससी, एसटी और महिला छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में 17,33,76,759 रुपये की राशि लंबित है। इस राशि के विरुद्ध विश्वविद्यालय को केवल 4,60,44,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस मामले को बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

## 4. संकाय नियुक्ति (Faculty Appointment)

संकाय की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा की गई, विशेष रूप से रोस्टर क्लीयरेंस से संबंधित मामले पर नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव के साथ सक्षम प्राधिकारी/मंडलीय आयुक्त के साथ इस मामले को उठाने का निर्णय लिया गया।

## 5. समर्थ (Samarth) प्रणाली का कार्यान्वयन:

बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए विश्वविद्यालय में समर्थ (ERP) प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) साझा करने का अनुरोध शिक्षा विभाग से किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में समर्थ (SAMARTH) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक जनशक्ति को जुटाया जाएगा और आवश्यकतानुसार सहयोग मांगा जाएगा।

## 6. तकनीकी कोषांग (IT Cell) की स्थापना:

डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक समर्पित आईटी सेल स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।

7. <u>प्रति–कुलपति (Pro-VC) की नियुक्ति:</u>

यह निर्णय लिया गया कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रति–कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पटना विश्वविद्यालय अधिनियम और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन संशोधनों के साथ) में निहित मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप शुरू की जाए, जब तक कि यूजीसी (UGC) नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मौजूदा अधिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

8. <u>वित्तीय मामले:</u>

बकाया भुगतान की समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द प्रतिपूर्ति/समाशोधन (reimbursement/clearance) के लिए कदम उठाए जाएंगे।

9. <u>पेंशन सेल की निगरानी</u>:

ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से पेंशन निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इस मामले को उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के साथ जल्द से जल्द हल करने का निर्णय लिया गया।

10. <u>पीवीसी (PVC) सेल / प्राथमिकता–आधारित निगरानी:</u>

वेतन और पेंशन के मुद्दों को समय पर सुलझाने के लिए पीवीसी सेल/राज्य सरकार के साथ प्राथमिकता के आधार पर पत्राचार किया जाएगा।

11. <u>संस्थागत कल्याण:</u>

विश्वविद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) में "हैप्पीनेस फैक्टर" (खुशी का कारक) को सुधारने पर जोर दिया गया, जिसमें छात्र और कर्मचारी कल्याण संबंधी पहल शामिल हैं।

<u>निष्कर्ष:</u>

बैठक का समापन सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त निर्णयों पर समयबद्ध अनुपालन और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देशों के साथ हुआ।

**माननीय कुलाधिपति के आदेशानुसार**

ह0/–
**(गोपाल मीना)**
**राज्यपाल के सचिव**

ज्ञापांक संख्या: BSU (मीटिंग)–12/2022 (भाग) – / G-S- (I), दिनांक:–

प्रतिलिपि: सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / कुलपति / कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**राज्यपाल के सचिव**

ज्ञापांक संख्या: BSU (मीटिंग)–12/2022 (भाग) – 702 / G-S- (I), दिनांक:– 21/04/2

प्रतिलिपि: राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) / विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) / अपर सचिव (विश्वविद्यालय) / विश्वविद्यालय निरीक्षक / उप सचिव (विधि) / अवर सचिव (विश्वविद्यालय) / उप निदेशक (NIC) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (विश्वविद्यालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ गार्ड फाइल।

Meena 21/04/2025

राज्यपाल के सचिव